

पचा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ
पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 154/2025

1. शकील अहमद वल्द बल्लेखां जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. नजर मोहम्मद वल्द बल्लेखां जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. सफेदा बैगम पुत्री खुशीमोहम्मद पत्नी बल्लेखां जाति मुसलमान निवासी राठीखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

डिक्री

—प्रतिवादीगण

दिनांक 13/6/25


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अब्दुल सतार जोईया व प्रतिवादी वकील सुखवीर सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चक 2 आर. के. पटवार हल्का राठीखेड़ा के जमाबंदी खाता संख्या 16/67 संम्वत 2075 ता 2078 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 3.3730 हैक्टेयर आराजी में वादीगण की माता प्रतिवादीया सफेदा बैगम के नाम से दर्ज 1417/3373 हिस्सा तथा इसी चक के जमाबंदी खाता संख्या 64/68 संम्वत 2075 ता 2078 में संयुक्त खाता में दर्ज कुल 5.287 है० आराजी में वादीगण की माता प्रतिवादीया सफेदा बैगम के नाम से दर्ज 1113/5287 आराजी के वादीगण व. हि. व. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त चको में प्रतिवादीया का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(क) वादी शकील अहमद को प्राप्त आराजी— चक न. 2 आर. के. प.न. 218/289 (25) कि.न. 21,22,23 24, 25/1/0.190, 25/2/0.0380 गै.मु. रास्ता 25/3/0.0250 गै.मु.खाला कुल 1.265 है. मय गै. मु. चक 3 आर. के. 216/284 (30) 15/1/0.2280,15/2/0.0250 गै०मु० कुल 0.253 है०मय गै.मु. दोनो चको की कुल 1.5180 है० मय गै. मु. आराजी

(ख) वादी नजर मोहम्मद को प्राप्त आराजी:— चक न. 3 आर. के. प.न. . 216/283 (25) कि.न. 6/1/0.2280,6/2/0.0250 गै.मु.खाला 15/1/0.2280,15/2/0.0250 गै. मु.खाला 16/1/0.2280,16/2/0.0250,गै.मु.खाला—25/1/0.2280,25/2/0.025, गै.मु.खाला


216/284 (30) 5/1/0.2280,5/2/0.0250 गै. मु.खाला 6/1/0.2280,6/2/0.0250 गै. मु.

खाला = 1.518 है० मय गै.मु. उक्त चको में प्रतिवादीया का नाम कलमजन किया जाकर अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा



जिसे रीक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दसमद करे। खर्चा उपयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सरमनारायण R.A.S.)
उपयपक्ष अधिकारी (राजस्व)
एच.एस.एस. कलेक्टर टिब्बी।
टिब्बी